PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
प्रबन्ध निदेशक कार्यालय
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2642006 फैक्स नं0 0135–2643460 email:- md.ptcul@rediffmail.com

दिनांकः 08 .08.2022

पत्रांकः 2326 /प्र0नि0/पिटकुल/ MD(OM)

कार्यालय ज्ञाप

पिटकुल निदेशक मण्डल की दिनांक 22.07.2022 को सम्पन्न 80वीं बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा आईटम सं0 80.07 ''शासन की भाँति पिटकुल में पति तथा पत्नी दोनों के एक ही स्टेशन पर कार्यरत होने एवं एक ही आवास में रहने पर पति तथा पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में'' के क्रम में निदेशक मण्डल द्वारा निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया :–

''निदेशक मण्डल को प्रस्तुत किये गये एजेण्डा नोट में उल्लेखित सभी तथ्यों की समीक्षा करते हुए प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी। तत्पश्चात निदेशक मण्डल द्वारा उत्तराखण्ड शासन की भाँति पिटकुल में कार्यरत ऐसे पति/पत्नी जो एक ही स्टेशन पर तैनात हो व एक ही किराये के अथवा अपने आवास में रह रहें हों दोनों को नियमानुसार उनकी देयता की सीमा तक मकान किराये भत्ते की देय धनराशि प्रदान किये जाने की स्वीकृति दिनांक 01.01.2022 से इस प्रतिबन्धाधीन प्रदान की गयी कि पति/पत्नी दोनों में से किसी को भी उसी स्टेशन में जहाँ वे कार्यरत हैं, शासकीय आवास आवंटित न हो व दोनों मकान किराया भत्ता प्राप्त करने की अन्य शर्तें पूर्ण करते हो।''

उपरोक्त आदेश शासनादेश सं0 322(1)/XXVII(7)/50(69)/2015 दिनांक 28.12.2021 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

पत्रांक : /प्र0नि0/पिटकुल/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (मा0सं0)/(वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
4. समस्त आहरण वितरण अधिकारी/समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.......................।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश कारपोरेशन की वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

8/8/22

(अनिल कुमार)
प्रबन्ध निदेशक